भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये | ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 | Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR 71546

मु०वि०ला०न०-59/78 बिहारशरीफ, नालंदा

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' शैक्षणिक न्यास का प्रस्तावना

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' शैक्षणिक न्यास का घोषणा पत्र का दस्तावेज (अभिलेख) भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 डीड ऑफ डिक्लरेशन ऑफ ट्रस्ट अन्डर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत निबंधन।

इस डीड (दस्तावेज) में वर्णित सभी नियम एवं प्रावधान राष्ट्र कवि रामधारी सिंह 'दिनकर' शैक्षणिक न्यास की नियमांवली में सम्मिलत होगा अथवा अभिप्रेरित होगा जिसे समय-समय पर ट्रस्ट (न्यास) के उत्तराधिकारियों के द्वारा संधोधित एवं परिवर्तित किया जाएगा और सभी ट्रस्टी गण एवं ट्रस्ट के अधिकारी इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्त एवं चुने जाएँगे जो इस दस्तावेज (डीड) में वर्णित तथा उद्घोषित है।

1. प्रस्तावना :- राष्ट्र कवि रामधारी सिंह 'दिनकर' शैक्षणिक न्यास एक जन ट्रस्ट होगा जो लोक कल्याणकारी होगा तथा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अन्तर्गत यह ट्रस्ट (न्यास) सत्य, अहिंसा और साधनों की पवित्रता के आधार पर समाज से गरीबी, विषमता, शोषण, अंधविश्वास और अशिक्षा मिटाने का कार्य करेगी। इसके

School Manager
Manas Bhumi Sr. Sec. School
Chhitar Nagar, Nalanda (Bihar) 803111

Principal
Manas Bhumi Senior Secondary School
Chhitar Nagar, Nalanda (BIHAR) 803111

Treasury Office
Nalanda.

सा० सुनिल कुमार

अभिप्रमाणित
अरविन्द कुमार सिंह
10.10.07

साक्षी सुनील कुमार, दिन मंगलवार
समय 1.00 बजे - विवाह अभिलेख
31.01.2006

31-1-06

सुनील कुमार

31-1-06

विवाह पंजीकार का हस्ताक्षर

विवाह पदाधिकारी

अनिता कुमारी एवं सुनील कुमार
(उपर्युक्त पक्षकारों)

मुकेश कुमार
श्री शील किशोर प्रसाद सिंह

विवाह पदाधिकारी

31-1-06 355/04 51/06

द्वारा समाज में रचनात्मक कार्य पूर्ण निष्ठा एवं सेवा भावना से किए जाएँगे। यह न्यास शैक्षणिक, साहित्यक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यो के प्रति समर्पित होगा। यह न्यास समतामूलक समाज की स्थापना के लिए कटिबद्ध है। न्यास सामाजिक न्याय, साम्प्रदायिक सौहार्द्र, स्वावलंबन राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता हेतु प्रतिबद्ध है। सामाजिक एवं आर्थिक संतुलन हेतु समर्पित है। ट्रस्ट (न्यास) की व्यवस्था एवं नियंत्रण तथा सम्पत्ति का हस्तांतरण एवं विनियोग बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) में निहित होगी तथा उसे न्यास का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

2. न्यासकर्त्ता (प्रस्तावक) :- सुनील कुमार बल्द श्री ब्रजेश प्रसाद सिंह, दिनकर नगर, नालन्दा पोस्ट+थाना+जिला - नालन्दा (बिहार), पिनकोड- 803111

3. न्यास का प्राथमिक कोष :- न्यासकर्त्ता द्वारा दी गयी राशि 5,000/- (पाँच हजार) रूपये से न्यास (ट्रस्ट) शुरू किया गया, जिसका इस्तेमाल न्यास के कार्यालय हेतु फर्नीचर एवं उपस्कर के लिए किया गया।

356 V04 51 06

सही. अनिता कुमारी 31/1/2006

357 V045106

सही मुकेश कुमार, वल्द-श्री कौशल किशोर प्र० सिं०

31/01/06

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' शैक्षणिक न्यास का स्मृति पत्र

1. नाम - इस संस्था (ट्रस्ट) का नाम होगा - राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' शैक्षणिक न्यास

2. निबंधित कार्यालय - इस संस्था (ट्रस्ट) का निबंधित कार्यालय - दिनकर नगर, नालन्दा
पो० + थाना + जिला - नालन्दा (बिहार) में रहेगा

3. कार्यक्षेत्र - इस संस्था (ट्रस्ट) का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष रहेगा।

4. स्थापना तिथि - इस संस्था (ट्रस्ट) की स्थापना 23 सितम्बर 1999 को की गयी।

5. उद्देश्य :-

i) प्रत्येक समुदाय के लिए आदर्श शिक्षण व्यवस्था करने के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थानों, शारीरिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य प्रशिक्षण, संगीत एवं ललितकला प्रशिक्षण, शिल्पकला प्रशिक्षण, खेलों का प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना, जिससे अल्पसंख्यकों, महिला निर्धन और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों आदि की बेरोजगारी तथा बेकारी की समस्या का निदान हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सर्वप्रथम दिनकर नालन्दा में मानसभूमि स्कूल रेसिडेंसियल कम्पलेक्स की स्थापना करना। बाद में देश के विभिन्न हिस्सों इसी तरह के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना।

ii) जीवनोपयोगी शिक्षा को बढ़ावा देना ताकि समाज से गरीबी, बेरोजगारी, विषमता, अंधविश्वास और अशिक्षा को मिटाया जा सके।

iii) नैतिक मूल्य आधारीत शिक्षण की व्यवस्था करना ताकि छात्रों में नैतिकता, शिष्टाचार, कर्त्तव्य परायणता एवं अनुशासन का भाव भरा जा सके।

रानी सुनीला कुमारी 31.01.06

गवाह सुरेश सिंह वल्द स्व० भुवनेश्वर प्र० सिंह
सा०-उमुआरा, पो०-टिकारी, थाना-टिकारी, जिला-गया
31.01.06

iv) गाँधी, विनोवा भावे, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया एवं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' के आदर्शों पर चलकर शोषण-मुक्त, समतामूलक समाज की स्थापना करना।

v) धर्म निरपेक्षता, सामाजिक सौहार्द एवं समतामूलक समाज के निर्माण हेतु छात्रों एवं अन्य लोगों को प्रेरित करना।

vi) देश की एकता एवं अखण्डता को अक्षूण्ण रखने हेतु छात्रों में देशभक्ति, आत्म गौरव एवं स्वाभिमान के भाव भरना ताकि उन्हें एक जवाबदेह एवं स्वस्थ नागरिक बनाया जा सके।

vii) कला-साहित्य एवं संस्कृति को बढ़ावा देना ताकि प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया जा सके।

viii) ज्ञान-विज्ञान को बढ़ावा देना ताकि आनेवाली पीढ़ी विश्व के बदलते परिवेश के अनुरूप अपने आप को तैयार कर सके एवं भविष्य की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके।

ix) शैक्षणिक जागरूकता पैदा करने हेतु - विचार गोष्ठी, सेमिनार, सिम्पोजियम कार्यशाला विज्ञान प्रदर्शनी एवं बाल मेला आदि का आयोजन करना। ताकि छात्रों के व्यक्तितत्व का सम्यक एवं संतुलित विकास किया जा सके।

x) बाल अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य करना एवं बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगिण विकास के लिए कार्यक्रम चलाना।

xi) बाल - मजदूरी उन्मुलन कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करना एवं बाल श्रमिको को शोषण से मुक्ति दिलाकर उनके लिए रोजगारोन्मुख शिक्षा की व्यवस्था करना।

xii) अनौपचारिक शिक्षा एवं व्यस्क शिक्षा केन्द्रों, रात्रि पाठशाला, पुस्तकालय एवं वाचनालयों की स्थापना करना।

xiii) स्वास्थय सम्बन्धी जागरूकता, अभियान चलाना ताकि लोगों के स्वास्थय स्तर को ऊँचा उठाया जा सके। एड्स, कैंसर एवं अन्य जानलेवा बीमारियों तथा कुपोषण जनित बीमारियों के प्रति

लोगों को जागरूक करते हेतु कार्यक्रम चलाना।

xiv) पर्यावरण की सुरक्षा हेतु पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को वृक्षारोपन, वनसंरक्षण, भूगर्भ जल संरक्षण, वायु प्रदुषण, ध्वनी प्रदूषण जल प्रदूषण एवं विकिरण से उत्पन्न खतरों को रोकने हेतु प्रेरित करना

xv) विकलांग बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक उन्नयन कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु कार्य करना

xvi) महिला शिक्षा को बढ़ावा देना ताकि देश का सर्वांगिण विकास हो सके

xvii) सम्पूर्ण साक्षरता हेतु अभियान चलना।

xviii) जनसंख्या नियंत्रण हेतु लोगों को प्रेरित करने के लिए कार्यक्रर्म चलना।

xix) लोगों के शैक्षणिक स्तर को ऊँचा उठाने हेतु पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन, संपादन, संकलन एवं वितरण करना।

xx) शैक्षणिक एवं साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।

xxi) जनहित में अन्य किसी प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य करना।

उपरोक्त समस्त अथवा किसी एक उदेश्य की पूर्त्ति हेतु न्यास को अधिकार होगा कि :-

क) किसी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, बैंक अथवा स्थानीय प्राधिकरणों, राज्य सरकार से दान, अनुदान, अंशदान, बसियत और धरोहरो की याचना करना एवं उसे स्वीकार करना।

ख) न्यास द्वारा अपने सभी अथवा किन्हीं उदेश्यों को अग्रसर करने के लिए किसी भूमि, भवन तथा चल और अचल सम्पत्ति एवं किसी संस्था को दान क्रय विनिमय किराये के पटट्े द्वारा अथवा अन्य प्रकार से अर्जित करना।

ग) मकानों संरचनाओं अथवा भवनों को बनाना, निर्माण, मरम्मत फर्नीचरों, यंत्रों उपकरणों से सुसज्जित करना और प्रत्येक भवन

जिसका निर्माण किया जाता है या धारित है उपयोग के लिए अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना।

घ) न्यास से संबंधित जो भी परिसम्पत्तियाँ (चल एवं अचल) है, का विक्रय, प्रबन्ध, हस्तान्तरण, विनियम बंधक डिमाईज मरणोपरान्त वसियत द्वारा हस्तांतरण पटट्े अथवा किराये पर देना निपटान अथवा सम्पत्ति के विषय में अथवा संव्यवहार करना।

ङ) न्यास से सम्बन्धित सभी अथवा किसी चल या अचल परिसम्पत्तियों पर जमानत रहित या सहित अथवा बंधक प्रभार या गिरवी की जमानत पर अथवा किसी अन्य तरीके से रूपये उधार लेना तथा प्राप्त करना।

च) न्यास के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए बैंक/बैंको में खाता/खाते खोलना तथा लेन-देन अथवा जैसी भी आवश्यकता हो बैंक/बैंकों के साथ किसी भी तरीकों से संव्यवहार करना

छ) संस्था (ट्रस्ट) के सभी अथवा किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शाखाएँ खोलना एवं संचालन करना और ऐसी अन्य गतिविधियों का उत्तरदायित्व उठाना।

ज) न्यास के लाभ का उपयोग न्यास के लक्ष्यों का विस्तार एवं संवर्द्धन हेतु किया जाएगा तथा उसे सदस्यों में नहीं बाँटा जाएगा।

झ) न्यास के कार्यों का प्रबन्ध न्यास के नियमों तथा विनियमों के अनुसार समय-समय पर विधिवत गठित कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) को सौंपा जाएगा।

ञ) न्यास द्वारा संचालित किया जानेवाला मानसभूमि स्कूल रेसिडेंन्सियल विद्यालय के विकास एवं भवन निर्माण हेतु राष्ट्रीय कृत बैंक/ बैंकों से ऋण प्राप्त करना एवं समय पर ऋण अदायगी करना। इसके लिए अध्यक्ष सह निदेशक एवं महासचिव सह उपनिदेशक जवावदेह होंगे।

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' शैक्षणिक न्यास की नियमावली

1. परिभाषा :-

क) इस न्यास ट्रस्ट का अर्थ होगा - राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' स्मृति न्यास।

ख) समिति का अर्थ होगा - न्यास की कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति)

ग) पदाधिकारी का अर्थ होगा - अध्यक्ष सह निदेशक, महासचिव सह उपनिदेशक एवं कोषाध्यक्ष।

घ) कार्यकारिणी सदस्य का अर्थ होगा - न्यास के कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) का सदस्य।

ङ) सदस्य से अभिप्राय है - न्यास की महासभा के सदस्य।

च) वर्ष से अभिप्राय है - पहली अप्रैल से 31 मार्च तक ।

छ) एक्ट से अभिप्राय है - भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882

ज) महासभा - 23 सितम्बर 1999 की सभा में उपस्थित सभी लोग जिस सभा में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' शैक्षणिक न्यास की स्थापना हुई, उस सभा में उपस्थित सभी लोग, महासभा के सदस्य होगें बशर्ते उनका कार्य नियमानुकूल रहे एवं सदस्यता की शर्तें पूरी करते हों।

झ) महासभा की बैठक - महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होगी, जिसमें न्यास का वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षण एवं कार्यकारिणी (प्रबंध समिति) द्वारा लिए गए कुछ अति महत्वपूर्ण फैसलों का अनुमोदन किया जायेगा। महासभा की वार्षिक बैठक प्रत्येक वर्ष अप्रैल या मई माह में आयोजित की जायेगी। इसके पूर्व न्यास के पिछले वित्तीय वर्ष के आय-व्यय का अकेंक्षण कर लिया जायेगा। महासभा (आमसभा) की वार्षिक बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत किया जायेगा एवं उसकी संस्तुति प्राप्त कर ली जायेगी। महासभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का एक तिहाई होना चाहिए। विशेष परिस्थिति में कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) महासभा की बैठक विशेष रूप से कभी भी बुला सकती है।

ञ) मुहर (Seal) - मुहर (Seal) का अर्थ न्यास का मुहर (Seal) से है।

2. सदस्यता - प्रत्येक व्यक्ति महिला अथवा पुरूष जिसकी उम्र 18 वर्ष या अधिक हो, जो इस न्यास के उद्देश्यों एवं नियमों का पालन करते हों, वे इस न्यास के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) द्वारा प्रदान की जायेगी। इस मामले में कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) का निर्णय सर्वोपरि एवं अंतिम होगा। लेकिन नियुक्ति का औपचारिक अनुमोदन महासभा की वार्षिक बैठक में लेना होगा।

3. सदस्यता के लिए सामान्य शर्तें एवं योग्यता -

क) वह भारत का नागरिक हो।

ख) वह पागल अथवा दिवालीया न हो।

ड़) न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।

च) बिना पूर्व सूचना एवं यथेष्ठ कारण बताये लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, कार्यकारिणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के लिए भी कार्यकारिणी समिति

(प्रबंध समिति) के तीन बैठकों में लगातार बिना कारण बताये अनुपस्थित रहने पर उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

छ) न्यास के लक्ष्यों, आदर्शों एवं उद्देश्यों के विरूद्ध आचरण करने पर ।

ज) न्यास के कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति), किसी सदस्य को उसके न्यास विरोधी क्रिया कलाप एवं आचरण करने की स्थिति में उसे कारण बताओ नोटिस जारी करेगी, तत्पश्चात निर्धारित समय के अन्दर उचित एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देने की स्थिति में उसकी न्यास की सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

झ) सभी श्रेणी के सदसयों के लिए अलग-अलग रजिस्टर रखा जायेगा।

6. आय का स्रोत - न्यास अपनी आय निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त करेगी।

क) प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क द्वारा

ख) सदस्यों तथा जनता द्वारा अनुदान, दान तथा योगदान द्वारा

ग) राष्टकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' शैक्षणिक न्यास के कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) द्वारा निर्धारित दर एवं अवधि हेतु ऋण प्राप्ति के द्वारा।

घ) सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा ।

ड़) खादी और ग्रामोद्योग के विकास हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा केन्द्र अथवा राज्य और कोई भी दूसरे वित्तीय अभिकरणों या संस्थाओं से ऋण, अनुदान तथा उपदान खादी अथवा ग्रामोद्योग के विकास हेतु मान्य योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर ।

च) विदेशी अभिकरण अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी सरकार या ज्ञातव्य संस्थाओं से आर्थिक सहायता प्राप्त कर।

छ) पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन, संपादन, संकल्न एवं विक्रय के द्वारा ।

ज) न्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जानेवाले विज्ञापन्नों के द्वारा।

7. निधि का अंकेक्षण - न्यास के आय-व्यय का अंकेक्षण नियमित रूप से रखा जायेगा तथा आम सभा द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक होगा।

8. संस्था की सभी पंजियाँ निबंधित कार्यालय में रहेगी। जिसकी नियंत्रण महासचिव सह उपनिदेशक के हाथों में होगा।

9. नियमावली में संशोधन - कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) न्यास के नियमावली में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव पास कर आम सभा की बैठक में इसे प्रस्तुत करेगी, जिसे आम सभा के दो तिहाई सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्ताव पारित करने पर नियमावली में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन की सूचना न्यासी के निबंधक को देनी होगी।

10. आम सभा - आम सभा का गठन संरक्षक सदस्य, आजीवन सदस्य एवं साधारण सदस्य को मिलाकर होगा तथा न्यास के कार्यों का संचालन एवं मार्ग दर्शन देने के लिए वर्ष में एक बार आम सभा की बैठक होगी।

11. आम सभा की गणपूर्ति - राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' शैक्षणिक न्यास रोल पर दर्ज कुल सदस्य के एक तिहाई भाग से होगी।

12. आम सभा के कार्य -

क) कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) का चुनाव।

ख) अध्यक्ष सह निदेशक एवं महासचिव सह उपनिदेशक की नियुक्ति तथा उनका पारिश्रमिक निश्चित करना।

ग) ट्रस्ट के लेखा परीक्षण करने के लिए संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति।

घ) वर्ष में आय-व्यय लेखा तथा देनदारी तथा लाभ-हानि लेखा विवरण के साथ पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान न्यास के कार्य की रिपोर्ट कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) से प्राप्त करना।

ङ) न्यास के कार्यों के संबंध में आयोग, राज्य मंडल अथवा वित्तीय अभिकरणों से प्राप्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा अन्य सूचनाओं पर विचार करना।

च) नियम तथा विनियमों के संशोधन पर विचार कर उसे पारित करना।

छ) नीति निर्धारित करना।

झ) अन्य मामलों पर विचार करना।

13. महासभा या आम सभा की वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर बुलाई जायेगी और वह राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' शैक्षणिक के ज्ञापान तथा नियम विनियमों के अनुसार कार्य करेगी।

क) वार्षिक आम सभा की बैठक के लिए कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व सूचना दी जायेगी, जिसमें बैठक की तारीख, समय, स्थान और सभा में विचार विमर्श हेतु रखे गये विषय का जिक्र होगा।

ख) सूचना निम्न प्रकार से दी जायेगी।

न्यास के सभी सदस्यों के पास नोटिस अथवा प्रतियाँ घुमाकर तथा ऐसी नोटिस अथवा सूचना की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप सदस्यों का हस्ताक्षर प्राप्त करना।

या, डाक द्वारा प्रमाण पत्र के अन्तर्गत नोटिस भेजकर

14. बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई सदस्यों से होगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित कर दी जाएगी और यदि पुनः अगले तिथि पर भी आयोजित बैठक में भी गणपूर्ति नहीं हुई तो बैठक की कार्यवाही गणपूर्ति बगैर ही संपन्न होगी।

15. आम सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेवारी सचिव सह उपनिदेशक पर होगी। यदि अध्यक्ष को ऐसा लगे कि सचिव नियम के अन्तर्गत अपेक्षित आम सभा की बैठक बुलाने मे किसी वैद्य कारण के बिना ही असफल रहा है तो वह स्वयं बैठक बुला सकता है।

16. अध्यक्ष न्यास के प्रत्येक आम सभा की अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव सभा की अध्यक्षता करेंगे।

17. आम सभा, साधारण सदस्य, आजीवन सदस्य, संरक्षक सदस्य एवं कार्यकारिणी (प्रबंध समिति) के सदस्यों की विहित प्रक्रिया अपनाकार एवं न्यास के नियमानुसार उनकी नियुक्ति एवं सदस्यता समाप्त कर सकती है।

कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) का गठन महासभा द्वारा किया जाएगा। इसके सदस्यों का चुनाव आमतौर पर महासभा ही करेगी लेकिन महासभा की वार्षिक बैठक के पूर्व ही यदि कार्यकारिणी समिति में कोई सीट रिक्त होती है तो उस रिक्त स्थान के विरूद्ध कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) महासभा के सदस्यों में से उपयुक्त व्यक्ति को शेषकाल के लिए कार्यकारिणी का सदस्य तदर्थ रूप से चुन सकती है तथा इसका औपचारिक अनुमोदन महासभा की वार्षिक बैठक में कराना होगा।

20. कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) के अधिकार एवं कार्य -

कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) के निम्नलिखित कार्य एवं अधि ाकार होगें :-

क) न्यास (ट्रस्ट) के कार्य संचालन हेतु नियम तथा विनियम बनाना जो ट्रस्ट (न्यास) के मूलभूत उद्देश्यों के विरूद्ध न हो।

ख) राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' शैक्षणिक न्यास के नियमानुसार सदस्यता हेतु आवेदन पत्रों पर विचार करना तथा सदस्य नियुक्त कर इसकी औपचारिक स्वीकृति महासभा की बैठक में प्राप्त करना।

ग) कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) सभी तरह के सदस्यों, कार्यकारिणी समिति

(प्रबंध समिति) के सदस्यों एवं पदाधिकारियों समेत किसी की भी सदस्यता न्यास के नियमानुसार समाप्त कर सकती है तथा इसका औपचारिक अनुमोदन महासभा द्वारा प्राप्त कर सकती है।

घ) न्यास (ट्रस्ट) के कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, दंड, निलम्बन अथवा बर्खास्त करना तथा उनकी सेवा के नियमों और विनियमों को बनाना।

ङ) जमानत अथवा बिना जमानत के ऋण तथा डिपोजिट धन राशि प्राप्त करना तथा ऐसी शर्तों का निर्धारण करना जिनपर उन्हें स्वीकार किया जाय और उसके लिए आवश्यक सुरक्षा प्राप्त करना।

च) सदस्यों एवं कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम मंजूर करना

छ) कच्चे माल तथा उपकरणों एवं औजारों की खरीद, परिष्कृत माल की बिक्री और उनके भंडारण की व्यवस्था करना।

ज) सदस्यों का उपरकण व औजार भाड़ा खरीद आधार पर बेचना एवं उसकी आपूर्ति करना।

झ) राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' शैक्षणिक के उद्देश्यों के अनुरूप खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों और संशोधन तथा ग्रामीण उद्देश्यों के अन्य उत्पादों एवं अन्य गतिविधियों को संग्रहित करना तथा संचालित करना।

ञ) यह सुनिश्चित करना की न्यास की सभी वस्तुओं के स्टाक की जाँच कम से कम वर्ष में दो बार हो।

ट) न्यास की सम्पत्ति का बीमा करवाना।

ठ) ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो न्यास के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, उसके सुचारू कार्य संचालन में जरूरी है।

ड) कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) अपने किसी भी अधिकार को अध यक्ष सह निदेशक या महासचिव सह उपनिदेशक या विशेष कार्यहेतु गठित किसी उप समिति को देने में सक्षम होगी।

ढ) कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) का गठन पाँच वर्षों के लिए होगा। उसके उपरान्त पुनः आम सभा द्वारा नई कार्यकारिणी (प्रबंध समिति) का चुनाव किया जायेगा।

ण) कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार सचिव द्वारा बुलाई जायेगी तथा आवश्यकता अनुसार इसकी बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

त) राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' शैक्षणिक न्यास की आम सभा में नियमों तथा विनियमों एवं संकल्पों के अधीन पारित राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' शैक्षणिक न्यास ज्ञापन में यथा उपबंधित कारोबार का संचालन करने का कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) को पूर्ण अधिकार होगा।

थ) तत्कालिक प्रकृति के मामलों का निपटारा संबंधित कागजात को कार्यकारिणी समिति

(प्रबंध समिति) के सदस्यों के बीच परिचालित कर दिया जाएगा वशर्ते की ऐसे कार्य का अनुसमर्थन करने के लिए कार्यकारिणी समिति

(प्रबंध समिति) के तीन चौथाई सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव से हो, तदनुसार सदस्यों में परिचालित कर पारित सभी संकल्प कार्यकारिणी (प्रबंध समिति) की आगामी बैठक में अनुसमर्थन किया जाएगा।

द) यदि किसी भी कारण से कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) में कोई पद रिक्त होता है तो शेष सदस्य बैठक का संचालन करने में समर्थ होंगे वशर्ते कि बैठक का कोरम पुरा करने के लिए अपेक्षित सदस्य उपलब्ध हों।

ध) यदि कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) के सदस्यों की संख्या कोरम पूरा करने की न्यूनतम संख्या एक तिहाई से कम हो तो सभी रिक्तियाँ चुनाव द्वारा कराने के लिए एक माह के भीतर महासभा की आवश्यक बैठक बुलायी जाएगी।

न) कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल समान्यतः पाँच वर्षो का होगा। सेवा निवृत्त सदस्य पुनः अपने पद या दूसरे पद पर पुनः चुने जा सकते हैं। चुनावहोने तक सदस्य एवं पदाधिकारी अपने-अपने पदों पर बने रहेंगे।

प) कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) के सदस्यों की संख्या सात होगी. जिसे महासभा द्वारा आवश्यकतानुसार प्रस्ताव पारित कर घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

फ) कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) न्यास के चल एवं अचल सम्पत्तियों के प्रति उत्तदायी होगी। कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) को न्यास के चल एवं अचल परिसम्पत्ति को हस्तांतरित करने, विक्रय करने या दूसरे रूप में परिवर्तित करने का अधिकार होगा, वशर्ते कि ऐसा करना न्यास के उदेश्यों एवं लक्ष्यों का पुरा करने के लिए आवश्यक हो। लेकिन इसका अनुमोदन महासभा के दो तिहाई सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करवाकर लेना आवश्यक होगा।

ब) इसके अलावे कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) को न्यास के उदेश्यों एवं लक्ष्यों को पुरा करने हेतु कोई भी निर्णय लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसका अनुमोदन महासभा की वार्षिक बैठक में कराना होगा।

भ) कार्यकारिणी समिति के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य दस होगा।

21\. कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कार्य -

i) अध्यक्ष सह निदेशक - अध्यक्ष सह निदेशक के निम्नलिखित अधिकार एवं कार्य होगें :-

क) न्यास की कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) एवं महासभा की बैठक की अध्यक्षता करना।

ख) न्यास के कर्मचारियों तथा कार्यकलापों पर नियंत्रण रखना।

ग) आवश्यकता पड़ने पर अपने निर्णय मत द्वारा किसी विषय में निर्णय देना।

सुनील कुमार 31.01.2006

घ) सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के सारे काम करना।

ड़) कार्यवाही पंजी एवं अन्य सभी पंजियों एवं दस्तावेजों को प्रमाणित करना।

च) कार्यवाही पंजी में अपना हस्ताक्षर करना।

छ) न्यास के लिए कोष की व्यवस्था करना।

ज) आय के स्रोतों को विस्तार करना।

झ) न्यास के संगठन को मजबूत बनाने हेतु जनसम्पर्क करना।

ञ) न्यास की सदस्यता की वृद्धि के लिए प्रयास करना।

ट) न्यास के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास के नियमानुकूल सारे कार्य करना।

ठ) न्यास की महासभा के प्रति जवाबदेह होना।

ड) सचिव से हमेशा सम्पर्क बनाये रखना एवं सचिव से परामर्श कर न्यास के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निर्णय लेना। न्यास के उद्देश्यों के प्रचार-प्रसार हेतु पत्राचार एवं यात्रा कर सम्बंध विकसित करना।

ढ) आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी पूर्व अनुमति के एक बार में दस हजार रूपये तक खर्च करने का अधिकार अध्यक्ष सह निदेशक को होगा।

ण) आकस्मिक स्थिति में कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) के सारे अधिकारों का उपयोग करना एवं किसी कार्य का निर्णय लेना तथा उसका संचालन करना।

त) आकस्मिक स्थिति में कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) को भंग कर दो माह के अन्दर महासभा की बैठक बुलाकर नई कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) का चुनाव कराना।

थ) कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) भंग रहने की अवधि में अध्यक्ष सह निदेशक, कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) के सारे अधिकारों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

ii) महासचिव सह उपनिदेशक - महासचिव सह उपनिदेशक के निम्नलिखित अधिकार एवं कार्य होगें :-

क) आम सभा एवं कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) की बैठक बुलाना और सभा की समस्त कार्यवाही को कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज करना।

ख) न्यास के प्रत्येक पंजी एवं कागजात को सुरक्षित रखना।

ग) न्यास की ओर से पत्राचार करना एवं उसकी समस्त लेखा बहियों तथा रजिस्टरों को आपेक्षित रूप में रखना तथा रख-रखाव के लिए प्रेरित करना।

घ) न्यास के आय-व्यय का अंकेक्षण करना।

ड़) कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) के आदेशानुसार न्यास की ओर से धन प्राप्त करना एवं व्यय करना तथा कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) के द्वारा सौंपे गये सारे कार्य करना।

च) न्यास की कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) के प्रति जवाबदेह होना।

छ) आवश्यकता पड़ने पर कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) की बिना पूर्व अनुमति के पाँच हजार रूपये तकव्यय करना।

ज) अध्यक्ष सह निदेशक से परामपर्श कर आवश्यकतानुसार वैतनिक एवं अवैत्तनिक कर्मचारियों या कार्यकत्ताओं की नियुक्ति करना तथा उनका कार्य संतोष प्रद नहीं होने पर उसे निलंबित करना एवं सेवा समाप्त करना। सेवा समाप्ति की स्थिति में कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) से औपचारिक अनुमोदन लेना।

झ) आकिस्मक स्थिति में अध्यक्ष सह निदेशक की सहमति से कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) के सारे अधिकारों का उपयोग करना एवं किसी कार्य का निर्णय लेना तथा उसका संचालन करना।

ञ) आकस्मिक स्थिति में कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) को भंग करने हेतु अध्यक्ष सह निदेशक को अनुशंसा करना।

ट) न्यास के नियमावली, संगठन एवं अन्य किसी भी तरह के परिवर्त्तन की सूचना संबंधित कार्यालयों, एजेंसियों, न्यासों के निबंधक एवं संबंधित केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार को देना।

ठ) अध्यक्ष सह निदेशक की अनुपस्थिति में उसके सारे कार्य करना।

iii) कोषाध्यक्ष - कोषाध्यक्ष के निम्नलिखित अधिकार एवं कार्य होगें :-

क) न्यास के आय-व्यय का हिसाब रखना तथा सचिव के आदेशानुसार बैठक में प्रस्तुत करना।

ख) न्यास के निधि के प्रति उत्तरदायी होना एवं आय-व्यय का अंकेक्षण कराना।

ग) सदस्यता शुल्क इत्यादि प्राप्त कर रसीद देना।

घ) न्यास का कोष निर्धारित बैंक या डाकघर में न्यास के नाम पर जमा करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यक्ष सह निदेशक एवं महासचिव सह उपनिदेशक के संयुक्त हस्ताक्षर प्राप्त कर रकम की निकासी करना।

ड़) महासचिव सह उपनिदेशक एवं कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) के प्रति जवावदेही होना।

iv) कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) के सदस्यों के अधिकार एवं कार्य -

क) संबंधित सभा एवं समिति की बैठक में भाग लेना एवं अपने विचार रखना।

ख) न्यास के आय-व्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

ग) न्यास के पंजियों को महासचिव सह उपनिदेशक की अनुमति प्राप्त कर देखना।

घ) न्यास की कार्यकारिणी (प्रबंध समिति) एवं महासभा के निर्णयों के अनुसार कार्य करना।

ङ) न्यास के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति करना।

च) आवश्यकता पड़ने पर महासभा या कार्यकारिणी (प्रबंध समिति) की बैठक में नियमों संशोधन का प्रस्ताव लाना।

छ) न्यास की महासभा में कार्यकारिणी (प्रबंध समिति) के प्रति जवाबदेह होना।

ज) न्यास के निर्णयों की जानकारी प्राप्त करना।

झ) न्यास के नियमों एवं अनुशासन को बरकरार रखते हुए आचरण करना।

22. राष्टकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' शैक्षणिक न्यास द्वारा संचालित मानसभूमि स्कूल रेसिडेंन्सियल कम्पलेक्स दिनकर नगर (नालन्दा) से संबंधित उपबंध :-

क) राष्टकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' शैक्षणिक न्यास तथा न्यास के द्वारा संचालित मानसभूमि स्कूल रेसिडेंन्सियल कम्पलेक्स दिनकर नगर (नालन्दा) का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकारी बैंक या डाकघर में खाता खोलकर रखा जायेगा। खाता अध्यक्ष सह निदेशक एवं महासचिव सह उपनिदेशक के संयुक्त हस्ताक्षर से खुलेगा। बैंक एवं डाकघर के खाते का संचालन अथवा निकासी अध्यक्ष सह निदेशक एवं महासचिव सह उपनिदेशक के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

ख) न्यास के अध्यक्ष सह निदेशक एवं महासचिव सह उपनिदेशक न्यास के विकास तथा मानसभूमि स्कूल रेसिडेंन्सियल कम्पलेक्स के भवन निर्माण एवं विकास हेतु किसी राष्ट्रीय कृत बैंक से ऋण प्राप्त करने एवं उसकी अदायगी के लिए अधिकृत होगें।

ग) राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' शैक्षणिक न्यास की कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) मानसभूमि स्कूल रेसिडेंन्सियल कम्पलेक्स दिनकर नगर (नालन्दा) के प्राचार्य,. शिक्षकों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतनमान, प्रोन्नति, निलंबन, बर्खास्गी एवं उनकी सेवा से संबंधित अन्य सभी प्रकार के नियमों और विनियमों को बनाएगी।

घ) मानसभूमि स्कूल रेसिडेंन्सियल कम्पलेक्स दिनकर नगर (नालन्दा) एवं न्यास द्वारा खुली जानेवाली इसकी अन्य शाखाएँ एवं दूसरे संस्थानों के सारे कर्मचारी, पदाधिकारी, प्राचार्य एवं शिक्षक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' शैक्षणिक न्यास के कर्मचारी होगें एवं न्यास के कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) के प्रति उत्तरदायी होगें।

सुनील कुमार 31.01.2006

ङ) मानसभूमि स्कूल रेसिडेन्सियल कम्पलेक्स दिनकर नगर, नालन्दा (बिहार) एवं न्यास द्वारा खोले जाने वाले अन्य संस्थानों के प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारी एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई न्यास की कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) के द्वारा प्रतिपादित नियमों के अनुरूप होगी। न्यास की कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) का निर्णय इस संबंध में सर्वोपरि होगा। केवल बर्खास्तगी की स्थिति में इसका अनुमोदन न्यास की महासभा द्वारा कराना आवश्यक होगा।

च) मानसभूमि स्कूल रेसिडेन्सियल कम्पलेक्स के सफल संचालन के लिए न्यास की कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) जवाबदेह होगी एवं मानसभूमि स्कूल रेसिडेन्सियल कम्पलेक्स दिनकर नगर, नालन्दा (बिहार) के संचालन के संबंध में नियम एवं विनियम बनाने के लिए न्यास की कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) अधिकृत होगी। न्यास की कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) समय-समय पर एवं परिस्थिति विशेष में मानसभूमि स्कूल रेसिडेन्सियल कम्पलेक्स के नियमों में परिवर्त्तन एवं संशोधन भी कर सकती है, बशर्ते ऐसा करना स्कूल के हित में हो।

छ) राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' शैक्षणिक न्यास एवं न्यास द्वारा संचालित मानसभूमि स्कूल रेसिडेन्सियल कम्पलेक्स से संबंधित वाद-विवाद का निपटारा भारतीय संविधान के अन्तर्गत कराने के लिए न्यास की कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) अधिकृत होगी।

ज) राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' शैक्षणिक न्यास की कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) मानसभूमि स्कूल रेसिडेन्सियल कम्पलेक्स एवं इसकी अन्य शाखाएँ खोलने के लिए अधिकृत होगी तथा स्कूल के विकास एवं सफल संचालन के लिए प्रबंध परिषद् एवं सलाहकार समिति का गठन कर सकती है।

23. अभियाचित बैठक :-

एक तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर आवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर महासचिव सह उपनिदेशक को बैठक बुलाना होगा। आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। अगर महासचिव सह उपनिदेशक उक्त अवधि के अन्दर बैठक नहीं बुलाते हैं तो आवेदकों को अधिकार होगा कि आवेदन में उल्लेखित विषयों के निर्णय हेतु उक्त अवधि के उपरान्त बैठक का आयोजन कर सकते हैं, बशर्ते इस संबंध में अध्यक्ष सह निदेशक की अनुमति प्राप्त कर ली गई हो।

24. बैठक की सूचना -

कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) की बैठक की सूचना समान्यतः पन्द्रह दिन पूर्व दी जायेगी तथा आम सभा की सूचना एक माह पूर्व दी जायेगी। लेकिन परिस्थिति विशेष में अल्प सूचना पर भी कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) तथा आम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है।

25. कोरम :-

आम सभा एवं कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) की प्रत्येक बैठक का कोरम संबंधित समिति एवं सभा के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम एक तिहाई होगी।

26. विघटन :-

क) अगर किसी कारण वश न्यास का विघटन करना पड़े तो कार्यकारिणी समिति (प्रबंध समिति) के तीन चौथाई सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की मंजूरी आम सभा से लेना होगा। यदि आम सभा इस आशय के प्रस्ताव को तीन चौथाई बहुमत से पारित कर देती है तो न्यास विघटित समझा जायेगा।

ख) विघटन के उपरांत ऋण इत्यादि के भुगतान के बाद जो चल एवं अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या किसी गैर सदस्य में बांटी नहीं जायेगी बल्कि आम सभा के तीन चौथाई सदस्यों के सहमति से समान उद्देश्यवाली दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि न्यास की यह नियमावली एवं स्मृतिपत्र बिलकुल सत्य है तथा इस न्यास के पंजीकरण हेतु हम प्रार्थी है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, जिनका फोटोयुक्त दस्तावेज में सही है, के कोष सभा की उंगलियों का निशान मेरे द्वारा लिया गया है। सही सुनील कुमार 31.1.06

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मूल दस्तावेज एवं इसकी द्वितीय प्रति मेरे द्वारा लिखी गयी है जो उन्नीस पेज में है, जो हूबहू सच्ची प्रतिलिपि है। सही सुनील कुमार 31.1.06

ह० सचिव सह उपनिदेशक	ह० अध्यक्ष सह निदेशक
ह० अमिता कुमारी 31/1/06	ह० सुनील कुमार 31.01.2006

दस्तखत ... 31/1/06

सही सुनील कुमार 31.01.2006

Sachit Kumar
School Manager
Manas Bhumi Sr. Sec. School

Principal
Manas Bhumi Senior Secondary School
Dinkar Nagar, Nalanda (BIHAR) 80311.